राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2503/2008

दिनेश चन्द शर्मा –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, राजस्थान सरकार, अजमेर।
2. जिला आयुर्वेद अधिकारी, भीलवाडा।
3. जिला आयुर्वेद अधिकारी, भरतपुर।
4. जिला आयुर्वेद अधिकारी, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : अनुपस्थित,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ.पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी द्वारा इस अपील में माह नवम्बर, 2005 से अपील प्रस्तुत करने की दिनांक तक बकाया वेतन का भुगतान किये जाने की प्रार्थना की गई है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, अलवर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 770 आदेश दिनांक 02.03.2009 की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसमें बकाया वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से तथ्य अंकित किये गये हैं :–

> कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, भीलवाडा, द्वारा फरवरी/2006 से अप्रैल, 2006 ड्राफ्ट संख्या 456768 रूपये 49518.46/– दिनांक 06.01.2009 नवम्बर, 2005 से जनवरी, 2006 ड्राफ्ट संख्या 456607 रूपये 48229.46/– दिनांक 01.01.2009, मई, 2006 से जून, 2008 ड्राफ्ट संख्या 226612 रूपये 48398.32/– दिनांक 24.02.2009 व कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, अलवर के द्वारा स्वयं के घोषणा पत्र के आधार पर 07/08 से 12/008 ड्राफ्ट संख्या 147156 रूपये 130462.92 दिनांक 05.02.2009 द्वारा भुगतान किया जा चुका है, जिसमें ड्राफ्ट संख्या 226612 के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। माह 1/09 का वेतन एलपीसी जिला आयुर्वेद कार्यालय, भीलवाडा से प्राप्त होने पर उठा दिया जावेगा।

3. उपरोक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को बकाया वेतन का भुगतान अपील प्रस्तुत किये जाने के पश्चात किया जा चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)